मालिकेन आ गया। विभाजन प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। पत्रावली दिनांक 31-5-18 को पेश हो

[signature]

31-5-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व तहसीलदार भादरा उप०। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। शामिल मिसल हो। रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार सम्पूर्ण रकबे पर प्लाट व मकान बने हुए है व रकबा का अकृषि कार्य में प्रयोग हो रहा है, रकबा कृषि कार्य में काम नही आ रहा है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित नही है। वादी वाद भूमि के सम्बन्ध मे यह साबित करने में असफल रहा है कि वह स्वयं भी वादभूमि को कृषि कार्य मे उपयोग ले रहा है। मौके पर मकान आदि बने होने के कारण अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि वादभूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण ने खातेदारी काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके लिए वे सभी विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा बेदखली के भागी है। अत: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
	किया जाता है। तहसीलदार भादरा वादभूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में विधिसम्मत कार्यवाही संस्थित करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 31/5/18 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)	